<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>सी.आर.ए. क्र. 465/2012</u>

दिलेश उर्फ दिलीप, पिता आत्माराम रात्रे, जाति सतनामी, उम्र लगभग 28 वर्ष, साकिन ग्राम उसलापुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चाम्पा, छ.ग.

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चाम्पा, छ.ग.

-- उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से: श्री सुमित सिंह, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>खण्डपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव</u>

<u>माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर</u>

<u>बोर्ड पर आदेश</u>

<u>न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव के अनुसार</u>

<u>02/08/2019</u>

यह अपील सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा द्वारा सत्र विचारण क्र. 132/2011 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.05.2012 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलर्थी को दोषसिद्ध किया गया है और निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया गया है:-

दोषसिद्धी	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत। मृत दिलचंद सतनामी की हत्या कारित करने के लिए।	आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम

	कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत। मृत मणिराम डहरिया की हत्या कारित करने के लिए।	आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. अभियोजन कथानक, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेख से प्रकट होता है, यह है कि एक दिलचंद और अन्य मणिराम के शव 04.04.2011 को गांव के तालाब के पास पड़े हुए पाए गए थे, जिसके कारण अ.सा.-7 द्वारा मर्ग सूचना प्र.पी-19 और प्र.पी-20 दर्ज की गई थी। पुलिस ने शव की जांच तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर (अ.सा.-6) ने क्रमशः प्र.पी-16 और प्र.पी-17 के द्वारा दिलचंद और मणिराम का पोस्टमॉर्टम किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मत दिया कि मृत्यु का कारण संभवतः ज़हरप्रयोग था और ढंग दम घुटना था। मृतक मणिराम के सिर के पश्चकपाल क्षेत्र में भी चोट पाई गई थी। मर्ग जांच के बाद, जैसे ही संदेह की सुई अभियुक्त/अपीलार्थी के इर्द-गिर्द घूमी, उसके विरुद्ध दिलचंद और मणिराम की हत्या का अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपराध विवेचना अधिकारी (अ.सा.-11) द्वारा एफ.आई.आर. (प्र.पी-27) के द्वारा दर्ज किया गया। अभियोजन का यह भी मामला है कि अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया एवं मेमोरेण्डम (प्र.पी-7) दर्ज किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अपीलार्थी के घर से कुछ ज़हरीला पदार्थ प्र.पी-8 के द्वारा जप्त किया गया था। समान पदार्थ की जप्ती प्र.पी-9 के द्वारा एक समारू यादव से भी की गई थी। जप्त की गई वस्तुओं को एफ.एस.एल. जांच के लिए भेजा गया और एफ.एस.एल. रिपोर्ट ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के कब्जे से प्र .पी-8 के द्वारा एवं समारू यादव के कब्जे से प्र.पी-9 के द्वारा कथित रूप से जप्त किए गए पदार्थ में बोरेक्स था - जो विषैले पदार्थों में से एक है। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र पेश किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया और विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आशय के आरोप विरचित किए कि मणिराम और दिलचंद को खत्म करने के लिए अपीलार्थी ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को बोरेक्स नामक ज़हर उनके द्वारा ग्रहण की गई शराब के साथ मिलाकर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी द्वारा दोष त्याग करने पर उसपर विचारण चलाया गया।

3. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन ने कुल 11 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत कथन भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने उसके विरुद्ध आने वाली समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों से इनकार किया और कथन किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य पर निर्भर होते हुए, विशेष रूप से अपीलार्थी से प्राप्त कॉल, अपीलार्थी को आखिरी बार देखा जाना, ज़हरीले पदार्थ की बरामदगी और अपराध करने के प्रेरक के संबंध में साक्ष्य , विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अपराध करने का दोषी ठहराया।

5. दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की वैधानिकता और वैधता पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि अभियोजन द्वारा दिए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं, पूर्ण श्रृंखला बनाना तो दूर की बात है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सभी संभावना में, यह अपीलार्थी और अकेला अपीलार्थी ही है जिसने दिलचंद और मणिराम की हत्या की है। उन्होंने तर्क किया कि अभियोजन साक्षी को प्राप्त कॉल के संबंध में साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण, मां गिरान उर्फ किरण बाई सतनामी (अ.सा.-1) और पिता दूजराम सतनामी (अ.सा.-7) के डायरी कथन से सुधार है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देंगे कि जहां तक सुखचंद सतनामी (अ.सा.-9) का सवाल है, वे स्वयं दावा

करते हैं कि उनके मोबाइल फोन पर अभियुक्त का कॉल आया था , लेकिन अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि जिस सिम कार्ड पर उन्होंने फोन कॉल आने का आरोप लगाया था, वह उनसे जप्त किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को आखिरी बार दो मृतकों के साथ देखे जाने का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि सुखचंद सतनामी (अ.सा.-9) का साक्ष्य कि उसने अपीलार्थी और मृतकों को पिछले दिन की शाम को विशाल के घर के पास एक साथ देखा था, उसके केस डायरी के कथन में एक स्पष्ट सुधार है क्योंकि उसके द्वारा पहले ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला प्रस्तुतिकरण यह है कि जहां तक अपीलार्थी के कब्जे से जहरीले पदार्थ की जप्ती का सवाल है , यह संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिपरीक्षण में जप्ती गवाह देवीप्रसाद पटेल (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि वह यह नहीं कह सकता कि उसने किस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर किया था। उनका आगे तर्क यह है कि यदि जप्ती को वैसे ही ले भी लिया जाए , मात्र उस आधार पर, बिना किसी अन्य पुख्ता साक्ष्य के, उसकी दोषसिद्धी स्थिर नहीं रखी जा सकती। उनका अंतिम प्रस्तुतिकरण यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उसके विरुद्ध कथित अपराध करने का प्रेरक भी संदेह से परे साबित नहीं हुआ है क्योंकि गीताबाई के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थी ने दोनों मृतकों को खत्म करने के संबंध में उसके सामने कभी व्यक्त किया हो और इसलिए, प्रेरक का घटक भी अनुपस्थित है। इस संबंध में अन्य साक्षियों के साक्ष्य केवल अनुश्रुत हैं और इसलिए बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि भले ही प्रकरण मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन ने यह साबित करके अभियुक्त का दोष साबित कर

दिया है कि घटना दिनांक को , सुबह अपीलार्थी ने फोन किया था और मृतक मणिराम से बात की थी और तालाब के पास बुलाया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी का गीताबाई (अ.सा.-5) के प्रति आकर्षण था, जिसे गीताबाई के कथन से भी साबित किया गया है और अन्य साक्षियों ने कथन किया है कि अपीलार्थी इस धारणा के तहत मणिराम और दिलचंद के विरुद्ध दुर्भावना का पोषण कर रहा था कि ये दोनों व्यक्ति भी गीताबाई से उलझ गए थे और इसलिए , अपीलार्थी के लिए दिलचंद और मणिराम की हत्या करने का यही प्रेरक था। राज्य के विद्वान वकील का अगला प्रस्तुतिकरण यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम प्र .पी-7 पर, जो देवीप्रसाद (अ.सा.-3) के साक्ष्य से साबित होता है, अपीलार्थी के घर से ज़हरीला पदार्थ बोरेक्स (सुहागा) जप्त किया गया था और एफ.एस.एल. प्रतिवेदन ने साबित कर दिया कि जो ज़हर मृतक के शरीर में पाया गया था और जो ज़हर प्र.पी-8 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था, वह एक ही प्रकृति का था। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्यों से साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक सीधा मामला बनाती है कि अकेला अपीलार्थी है जिसने अपराध किया है और इसलिए, जैसा ऊपर उल्लिखित है, विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराने और दण्ड देने में कोई अवैधता नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. यह पाने के लिए कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय विधि में स्थिर है अथवा नहीं, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर ध्यान देने से पहले , हम इस स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरधीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य , (1984) 4 एस.सी.सी. 116 में अपने प्रसिद्ध फैसले में निर्धारित की गई परिस्थितिजन्य साक्ष्य

के आधार पर अपराध सिद्ध करने के लिए विधि की आवश्यकता के संबंध में विधिक स्थिति का संदर्भ देना उचित समझते हैं। उपरोक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पांच स्वर्णिम नियम इस प्रकार हैं:-

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है , उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियां 'अवश्य स्थापित होनी चाहिए' न कि 'स्थापित की जा सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य(') में कहा था, जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है , तभी न्यायालय उसे दोषी ठहरा सकता है, तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है तथा यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जा सकता है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे यह माना गया कि:-

"**154.** ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत, अगर हम ऐसा कहें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं।

155. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर आपराधिक प्रकरण में सबूत के प्रकार के संबंध में, कॉर्पस डेलिसिटि की अनुपस्थिति में, इसके सबूत के रूप में विधि का कथन ग्रेसन, जे. (एवं 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी) द्वारा द किंग विरुद्ध होरी में इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

"इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके , मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध के किए जाने को नैतिक रूप से निश्चित बनाती हैं और युक्तियुक्त संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैं : परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने ठोस और सम्मोहक होने

चाहिए कि जूरी को यह विश्वास दिलाया जा सके कि हत्या के अलावा किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना के आधार पर तथ्यों को नहीं माना जा सकता है।"

156. लॉर्ड गोडार्ड ने नैतिक रूप से निश्चित की अभिव्यक्ति को थोड़ा संशोधित करके इसे 'ऐसी परिस्थितियाँ जो अपराध के होने को निश्चित बनाती हैं' कर दिया।

157. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के इस प्रमुख सिद्धांत को इंगित करता है कि किसी मामले को तभी साबित कहा जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हों और किसी भी व्यक्ति को विशुद्ध नैतिक विश्वास के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। होरी के मामले (सुप्रा) को इस न्यायालय ने अनंत चिंतामन लागू विरुद्ध बॉम्बे राज्य (2) में अनुमोदित किया था। लागू के मामले में तथा इस न्यायालय द्वारा हनुमंत के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का, बिना किसी अपवाद के, इस न्यायालय के सभी बाद के निर्णयों में समान रूप से तथा लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों का उदाहरण दिया जा सकता है - तुफैल मामला (सुप्रा), रामगोपाल मामला (सुप्रा), चंद्रकांत न्यालचंद सेठ विरुद्ध बॉम्बे राज्य (आपराधिक अपील क्र. 120/1957, दिनांक 19.2.58 को निर्णीत), धर्मबीर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (आपराधिक अपील क्र. 98/1958, दिनांक 4.11.1958 को निर्णीत)। ऐसे कई अन्य मामले हैं, जिनमें हालांकि हनुमंत के मामले पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है और दोहराया गया है , जैसे कि नसीम अहमद विरुद्ध दिल्ली प्रशासन(1), मोहन लाल पंगासा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2), शंकरलाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग्यारसीलाल दीक्षित विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य(3) और एम.सी. अग्रवाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य(4) – एक पांच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

9. उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अब हम अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करेंगे।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-27) से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की संबंधित अपराध में संलिप्तता अभियुक्त और गीता (अ.सा.-5) के बीच प्रेम संबंध पर आधारित है और अपीलार्थी को गीता के दो मृतक व्यक्तियों के साथ संबंध होने का संदेह था। एफ.आई.आर. से यह भी खुलासा होता है कि मृतक दिलचंद और मणिराम को एक ही लड़की अर्थात गीता से लगाव हो गया था और इसलिए, अभियुक्त द्वारा उन्हें खत्म करने का प्रेरक बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. गीताबाई (अ.सा.-5) को अभियोजन के साक्षियों में से एक के रूप में परीक्षित किया गया है और, हालांकि, उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अपीलार्थी उससे शादी करने के लिए इच्छुक था, उसने अपने साक्ष्य में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को यह आभास था कि दिलचंद और मणिराम भी उसके प्रति इच्छुक थे और इस कारण से, एक तरफ अपीलार्थी और दूसरी तरफ दिलचंद और मणिराम के मध्य कोई मौजूदा दुश्मनी या विवाद था। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि दिलचंद और मणिराम ने कभी भी उसके साथ कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया और न ही उसने कभी इस बारे में अभियुक्त से बात की और न ही उसने कभी कहा कि उसका मणिराम और दिलचंद के साथ कोई संबंध था। इस साक्षी ने कथन किया कि उसने आखिरी बार अभियुक्त से 3-4 महीने पूर्व बात की थी और उसके बाद वह अपनी

आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर चली गई और उसके लिए अपीलार्थी से पुनः बात करने का कोई अवसर नहीं मिला। इस साक्षी के साक्ष्य से दर्शित है कि घटना दिनांक से तीन माह पूर्व से वह अपीलार्थी से मिली तक नहीं थी।

12. अन्य अभियोजन साक्षियों का यह साक्ष्य कि गीताबाई के कारण अपीलार्थी एवं मृतकों के बीच विवाद हुआ था, केवल अनुश्रुत साक्ष्य है। सभी साक्षियों ने कथन किया है कि उन्होंने गांव में गीताबाई (अ.सा.-5) के प्रति अपने झुकाव को लेकर अभियुक्त और दो मृतक व्यक्तियों के बीच विवाद के बारे में अफवाह सुनी थी, लेकिन, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इनमें से किसी भी साक्षी के समक्ष मणिराम अथवा दिलचंद अथवा गीताबाई अथवा स्वयं अपीलार्थी ने कभी भी इस तरह के संबंध और उन सभी के मध्य दुश्मनी के अस्तित्व का खुलासा किया हो। इसलिए प्रेरक के संबंध में अभियोजन साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी के पास दिलचंद और मणिराम की हत्या करने का कोई दृढ़ प्रेरक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. केवल मृतक के भाई सुखचंद (अ.सा.-9) ने ही अपने मुख्य-परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक को शाम को लगभग 7-8 बजे उसने अपीलार्थी को उसके भाइयों मणिराम और दिलचंद के साथ विशाल नामक व्यक्ति के घर के पास देखा था। हालाँकि, उसके प्रतिपरीक्षण में यह बात सामने आई है कि ऐसा कोई कथन दर्ज नहीं किया गया था। उसके अनुसार, उसने पुलिस के समक्ष कथन किया था, परंतु उसे नहीं पता कि पुलिस ने उसे कैसे दर्ज नहीं किया। उसने मर्ग कथन देते समय ऐसा कोई खुलासा नहीं किया था। इसलिए, अ.सा.-9 के साक्ष्य में अंतिम बार देखे

जाने का यह कथानक लोप से ग्रस्त है और किसी संपुष्टि के अभाव में , अंतिम बार देखे जाने के इस साक्ष्य पर निर्भर होना सुरक्षित नहीं होगा।

14. अभियोजन का कोई अन्य साक्षी नहीं है जिसने यह कथन किया हो कि घटना से पहले अपीलार्थी और मृतक को एक साथ तालाब की ओर जाते देखा गया था या वे तालाब के किनारे बैठकर शराब पीते पाए गए थे।

15. अभियोजन कथानक यह भी है कि घटना दिनांक को अपीलार्थी ने दिलचंद और मणिराम को फोन करके शाम को तालाब के पास शराब पीने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि किरण बाई - मां (अ.सा.-1) और दूजराम - पिता (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अपीलार्थी ने सुबह फोन किया था, जबकि किरणबाई का कहना है कि फोन मणिराम ने रिसीव किया था , अ.सा.-7 का कहना है कि फोन मणिराम या दिलचंद में से किसी ने रिसीव किया था। हालांकि, उनके अपने-अपने प्रतिपरीक्षण में यह पता चला है कि उनके डायरी कथनों में ऐसा कोई कथन नहीं दिया गया था। इस प्रकार उनके मुख्य परीक्षण में किया गया यह कथन एक महत्वपूर्ण और भौतिक लोप से ग्रस्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मृतक के भाई सुखचंद (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि सुबह उसके मोबाइल फोन पर अपीलार्थी का फोन आया था, जो उसने दिलचंद को दिया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने शुरू में कहा कि मोबाइल नंबर 9755733871 को पुलिस ने थाने में जप्त किया था , लेकिन बाद में उसने अपनी कहानी बदल दी और कहा कि कॉल वास्तव में मोबाइल नंबर 9630426396 पर आई थी। हालांकि, उसने कहा कि यह सिम नंबर पुलिस ने जप्त किया था , लेकिन अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे दर्शित हो कि इस सिम नंबर को पुलिस ने जप्त किया था। विवेचना अधिकारी (अ.सा.-11) ने अपने साक्ष्य में यह भी नहीं कहा कि उक्त नंबर का कोई सिम अ.सा.-9 के कब्जे से जप्त किया गया था।

17. इसलिए, अ.सा.-1, अ.सा.-7 और अ.सा.-9 के साक्ष्य के विश्लेषण से यह अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अ.सा.-9 अथवा मणिराम अथवा दिलचंद के मोबाइल से फोन कॉल किया गया था। अभियोजन यह पता लगाने में असफल रहा है कि सिम नंबर 9630426396 का असली मालिक कौन है।

18. अब हमारे पास केवल अपीलार्थी के कब्जे से ज़हरीले पदार्थ की ज़ब्ती ही बची है। अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा दिए गए खुलासे के आधार पर मेमोरेण्डम प्र.पी.-7 तैयार किया गया था। देवीप्रसाद (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि उनकी उपस्थिति में एक मेमोरेण्डम दर्ज किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने कहा था कि उसने अपने घर में "कोकडामार दवाई" - एक कीटनाशक, रखा था और अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी के आधिपत्य से ऐसी ही एक वस्तु जप्त की गई थी। हालाँकि, अपने प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसने मेमोरेण्डम जप्ती और दस्तावेज़ पर कहाँ हस्ताक्षर किए थे। यह सच है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट साबित करती है कि पदार्थ एक ज़हरीला पदार्थ - बोरेक्स होना पाया गया था, हम इस राय के हैं कि जब अभियोजन द्वारा कोई अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित नहीं किया जा सका है, तो मात्र कथित ज़हरीले पदार्थ की बरामदगी के आधार पर, अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, विधि की यह आवश्यकता है कि सभी परिस्थितियों को, जो दोषपूर्ण प्रकृति के हैं, साबित किया जाना चाहिए ताकि एक पूरी श्रृंखला बनाई जा सके जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सभी संभावनाओं में , यह मात्र अभियुक्त ही है जिसने अपराध किया है। हमारे लिए, अभियोजन द्वारा सबूत की यह सख्त आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। हम तदनुसार ऐसा करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. शरद बिरधीचंद सारडा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) के मामले में, मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, जहर देकर हत्या के मामलों में सबूत की आवश्यकता के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धरित किया था:-

> "**164.** अब हम जहर देकर हत्या के मामलों को साबित करने के तरीके और रीति पर आते हैं। रामगोपाल के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-
>
> "ऐसे मामलों में तीन प्रश्न उठते हैं, अर्थात् (पहला), क्या मृतक की मृत्यु प्रश्नगत जहर से हुई? (दूसरा), क्या अभियुक्त के आधिपत्य में जहर था? और (तीसरा), क्या अभियुक्त को मृतक को प्रश्नगत जहर देने का अवसर मिला था? केवल तभी जब प्रेरक विद्यमान हो और ये सभी तथ्य साबित हो जाएं, तभी न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अभियुक्त ने मृतक को जहर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।
>
> **165.** जहां तक इस मामले का सवाल है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और उन चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जो अकेले ही दोषसिद्धि को उचित ठहरा सकती हैं:
>
> (1) मृतक को जहर देने के लिए अभियुक्त के पास स्पष्ट प्रेरक है, (2) मृतक की मृत्यु जहर दिए जाने से हुई, (3) अभियुक्त के आधिपत्य में जहर था, (4) उसे मृतक को जहर देने का अवसर मिला था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को, यदि किसी अन्य मामले में जरूरत न होने से, स्वतंत्र किया जाता है।

सही/–
(मनिनद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

सही/–
(विमला सिंह कपूर)
न्यायाधीश

पवन

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur